-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **युवक को लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 03 अभियुक्तों को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व डंडा बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । गौरतलब हो कि दिनांक 07.08.2025 थाना तिन्दवारी क्षेत्र के ग्राम मुहुई के रहने वाले रामविशाल सिंह पुत्र जयगोपाल सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उनके चाचा मुन्ना सिंह पुत्र रामनरेश सिंह को लाठी-डंडों एवं कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी । सूचना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तिन्दवारी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । इसी क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों को गोखरही मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रमजानी पुत्र रहीम बक्स निवासी ग्राम मुहुई थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।
2. नन्हे उर्फ शफीक अहमद पुत्र रहीम बक्स निवासी ग्राम मुहुई थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।
3. अनीशा पत्नी रमजानी निवासी निवासी ग्राम मुहुई थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 177/25 धारा 109(1)/352/3(5)/126(2) बीएनएस थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0चौकी कुरसेजा श्रीमती रोशनी सेंगर
2. हे0कां0 ब्रजेन्द्र सिंह
3. कां0 राजन दुबे
4. म0कां0 ज्योति शुक्ला
5. म0कां0 सुमन त्रिपाठी